श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 09.05.2014 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

1. **उपस्थिति** – यथा पंजी।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

आज दिनांक 09.05.2014 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक के साथ राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक परिचर्चा की गयी। गत् बैठक में जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अंचल अधिकारी को स्पष्ट निदेश दिया गया था कि अनुमंडल पदाधिकारी अर्द्धन्यायिक/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता भूमि विवाद निराकरण अधिनियम से संबंधित प्रतिवेदन एवं अंचल अधिकारी 30 बिन्दू से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 01ली एवं 02री तारीख तक निश्चित रूप से भेजेंगे, परन्तु प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि निर्धारित समय पर प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब होता है। सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन समय पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

तदुपरान्त सभी अंचलों/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता से प्राप्त प्रतिवेदन एवं गत बैठक में दिये गये निदेश पर बिन्दुवार विशेष एवं विस्तृत समीक्षा की गयी।

2. **भू–लगान :–**

भू–लगान से संबंधित माह अप्रील 2014 के प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी जो निम्नवत् है :–

क्र0	अंचल का नाम	लगान वसूली की राशि	प्रतिशत
1	सदर	**41800.00**	**1.85**
2	जमालपुर	**19999.00**	**1.32**
3	धरहरा	**12448.00**	**0.36**
4	बरियारपुर	**19208.00**	**1.28**
5	ह0 खड़गपुर	**34409.00**	**0.96**
6	टेटियाबम्बर	**21245.00**	**3.60**
7	तरापुर	**28081.00**	**1.63**
8	असरगंज	**14644.00**	**1.57**
9	संग्रामपुर	**22401.00**	**1.16**
कुल वसूली		**214235.00**	**1.22**

विगत वित्तीय वर्ष 2013–14 के लगान वसूली से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला में लगान वसूली लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 39.80 प्रतिशत हुई है। अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत वित्तीय वर्ष में सरकार से लगान वसूली पर रोक थी, जो किसान स्वेच्छा से देना चाहते थे, सिर्फ उन्हीं लोगों से लगान ली जाती थी।

जिला के सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि ततकाल विगत वर्ष का लक्ष्य मानकर ही लगान वसूली में तेजी लायेंगे। सभी अंचल अधिकारियों को बताया गया कि वर्त्तमान में लगान रसीद वही की कमी नहीं है। अपर समाहर्त्ता को अधियाचना भेजकर लगान रसीद वही प्राप्त कर सकते हैं।

3. भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण तथा NLRMP की प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा :–

भू–अभिलेखों के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह अप्रील 2014 तक अंचलवार भू–अभिलेखों का कम्प्युटरीकरण हेतु जिला राजस्व कार्यालय से प्रपत्र – 2 एवं प्रपत्र – 3 की आपूर्त्ति की गयी है एवं अंचल से प्राप्त प्रपत्र – 2 एवं प्रपत्र – 3 की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	अंचल का नाम	प्रपत्र 2 एवं 3 की आपूर्त्ति की सं0	प्रपत्र 2 एवं 3 की सं0 जो अंचल से प्राप्त हुआ	शेष लम्बित प्रपत्र 2 एवं 3 की संख्या
1	सदर	22000	17348	4652
2	जमालपुर	9000	7298	1702
3	धरहरा	14400	2061	13339
4	बरियारपुर	21400	9607	11793
5	ह0 खड़गपुर	35800	23698	12102
6	टेटियाबम्बर	33800	16560	17240
7	असरगंज	11400	14144	(–2744)
8	तारापुर	14800	12193	2607
9	संग्रामपुर	17400	10595	6805

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि धरहरा अंचल में प्रपत्र 02 एवं 03 का कार्य बिल्कुल नगन्य हुआ है। चूँकि जिला से 14400 प्रपत्र की आपूर्त्ति की गयी है। मात्र 2061 प्रपत्र ही कम्प्युटरीकरण कार्य हेतु जमा किया गया है। प्रभारी अंचल अधिकारी धरहरा को निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा करेंगे, जो राजस्व कर्मचारी एवं बन्दोबस्त कार्यालय से प्रतिनियुक्त कर्मी के द्वारा कार्य नहीं किया गया है तो उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला के सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि इस कार्य में शिथिलता बरतने पर कार्रवाई होगी। कम्प्युटरीकरण कार्य हेतु निविदा हो चुका है। अंचलाधिकारियों द्वारा प्रपत्र 02 एवं 03 उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में कम्प्युटरीकरण कार्य बाधित हो जाएगा, अतः सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर प्रपत्र 02 एवं 03 भरवाकर भेजें।

4. सैरात :–

सैरात से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन विगत वित्तीय वर्ष माह 2014 का समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत वित्तीय वर्ष मार्च 2014 तक कुल 1853172.00 (अठारह लाख तीरपन हजार एक सौ बहत्तर) रूपये की वसूली हुई है, जो लक्ष्य का 74.01 प्रतिशत है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सैरात से संबंधित बकाया राशि नहीं है।

गत् बैठक में जिला के सैरात से संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि वे इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि उनके अंचल से संबंधित सैरात में बकाया राशि नहीं है, परन्तु एक भी अंचल अधिकारी द्वारा अनुपालन के आलोक में प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। चेतावनी दी गयी कि अगली बैठक के पूर्व प्रमाण पत्र अवश्य देंगे। सैरात से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि ज्यादा सैरात परता घोषित करने के लिए भेजा गया है। गत् बैठक में यह भी निदेश दिया गया था कि परता घोषित किये

जाने वाले सैरातों के संबंधित में स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन देंगे ताकि यह पता चले कि वर्णित सैरात अस्तित्व में है या नहीं।

सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि गत् बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

5. **दाखिल – खारीज :–**

दाखिल खारीज से संबंधित अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन माह अप्रील, 2014 अंचलवार निष्पादित वादों की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	अंचल का नाम	31.03.14 तक कुल लम्बित वादों की संख्या	01.04.14 से गत माह तक दायर वादों की संख्या	प्रतिवेदित माह में कुल दायर वादों की संख्या	कुल दायर वादों की संख्या (3+4+5)	01.04.14 से गत माह तक निष्पादित वादों की संख्या	प्रतिवेदित माह में निष्पादित वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या (7+8)	कुल लम्बित वादों की संख्या (6–9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सदर	82	0	110	192	0	133	133	59
2	जमालपुर	11	0	105	116	0	48	48	68
3	धरहरा	35	0	0	35	0	0	0	35
4	बरियारपुर	108	0	36	144	0	111	111	33
5	ह0 खड़गपुर	66	0	128	194	0	132	132	62
6	टेटिया बम्बर	12	0	19	31	0	22	22	9
7	तारापुर	26	0	44	70	0	23	23	47
8	असरगंज	48	0	51	99	0	51	51	48
9	संग्रामपुर	15	0	35	50	0	17	17	33
कुल योग :–		**403**	**0**	**528**	**931**	**0**	**537**	**537**	**394**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के मार्च 2014 तक जिला के अंचल अधिकारियों के द्वारा कुल 403 वाद लम्बित दिखाया गया है। आई0 टी0 प्रबंधक द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि जिला में कुल 1054 वाद लम्बित है, जो अंचलवार निम्नवत् है :–

Sl. No.	Blocks	No. of Application within Time limit	No. of Application Not Disposed Till Due Date
1	Asarganj	78	1
2	Bariyarpur	89	65
3	Dharhara	37	0
4	Haveli Kharagpur	88	29
5	Jamalpur	75	27
6	Munger Sadar	133	39
7	`Sangrampur	127	4
8	Tarapur	110	0
9	Tetia Bamber	102	50
Total		**839**	**215**

इस प्रकार अंचल अधिकारियों द्वारा दिया गया प्रतिवेदन सन्देहात्मक प्रतीत होता है। जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि दाखिल खारीज मामले की सत्यता की जाँच करेंगे एवं समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

6. **<u>भू–हदबंदी, भू–दान, गैरमजरूआ आम/मालिक भूमि के अर्जन प्राप्ति, वितरण, अधिशेष एवं वितरण अयोग्य भूमि के प्रतिवेदन के संबंध में :–</u>**

भू–हदबंदी, भू–दान, गैरमजरूआ आम/मालिक भूमि के अर्जन प्राप्ति, वितरण, अधिशेष एवं वितरण अयोग्य भूमि के प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रतिवेदित आँकड़े में भौतिक रूप से भिन्नता है जो कहीं न कहीं त्रुटि है।

विगत् कई बैठकों से जिला के सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया था कि अधिशेष भूमि, भूदान यज्ञ से प्राप्त भूमि गैरमजरूआ आम और मालिक भूमि से संबंधित प्रतिवेदन आँकड़ों की शुद्धता की जाँच कर् लें ताकि प्रतिवेदित आँकड़ों को विभागीय वेबसाईट पर डाला जा सके, परन्तु किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। यह खेद जनक है। उन्हें निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व इस कार्य की महता को देखते हुए प्रतिवेदित आँकड़ों की शुद्धता की जाँच से संबंधित प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

7. **<u>भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत मामलों का निष्पादन :–</u>**

भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत मामलों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह अप्रील 2014 तक कुल 715 वाद दायर हुआ है, जिसमें 540 वाद का निष्पादन हुआ है। सबसे कम निष्पादन की स्थिति खड़गपुर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में हुआ है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता खड़गपुर का स्थानान्तरण हो गया है जबतक खड़गपुर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का विभाग से पदस्थापन नहीं होता है तबतक भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, तारापुर पूर्व की भाँति सप्ताह में तीन दिन यथा बुधवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को खड़गपुर अनुमंडल में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का कार्य करेंगे।

8. **<u>भू–हदबंदी, भूदान यज्ञ, गैरमजरूआ आम/खास भूमि एवं वासगीत पर्चा के अन्तर्गत बेदखली संबंधित प्रतिवेदन :–</u>**

बेदखली से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह दिसम्बर, 2013 तक कुल 09 मामले लम्बित हैं, जिसमें तारापुर में 07, टेटियाबम्बर में 01 एवं संग्रामपुर में 01 मामले लम्बित हैं।

विगत कई बैठक में जिला के सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया था कि अपने अंचल के एक–एक राजस्व हल्का में बी0पी0पी0एच0टी एवं भूहदबंदी, भूदान से प्राप्त भूमि के लाभुकों को भेतिक सत्यापन कर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करेंगे परन्तु अनुपालन शून्य है उन्हें निदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।

9. **<u>ए0सी0, डी0सी0 बिल :–</u>**

जिला के सभी उपस्थित पदाधिकारियों को बताया गया कि विभिन्न शीर्षवार समायोजन के लिए ए0सी0 विपत्र पर निकासी की गयी राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार के कार्यालय में समर्पित करना है। विभागीय निदेश के आलोक में अविलम्ब कार्रवाई करते हुए सार विपत्रों पर निकासी की गयी राशि से संबंधित डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखकार का कार्यालय, बिहार, पटना को निश्चित रूप से इस माह के अन्त तक उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचना देंगे।

10. <u>सेवान्त लाभ :–</u>

सेवान्त लाभ से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल स्तर पर ज्यादा मामले भविष्यनिधि कटौती की गयी राशि के भुगतान से संबंधित है।

सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि भविष्य निधि में कटौती की राशि का विवरणी उपलब्ध नहीं है तो विशेष दूत भेजकर संबंधित कार्यालय से भविष्य निधि में कटौती की गयी राशि का विवरणी प्राप्त कर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

11. <u>महादलित :–</u>

भूमिहीन महादलित परिवारों के लिए महादलित विकास योजनान्तर्गत वासभूमि उपलब्धता से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि द्वितीय चरण के कुल सर्वेक्षित परिवार 110 में से गैरमजरूआ आम भूमि से 09 परिवार गैरमजरूआ खास भूमि से 07 परिवार, बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट के तहत वासगीत पर्चा से 13 परिवार एवं क्रयनीति के तहत 27 परिवार को रैयती भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। शेष जो 54 महादलित परिवार बचे हुए हैं। उनमें से अंचल अधिकारी, संग्रामपुर को गैरमजरूआ आम/खास भूमि से 23, अंचल अधिकारी असरगंज को 04 गैरमजरूआ मालिक भूमि से एवं अचंल अधिकारी, खड़गपुर को 27 परिवार को क्रयनीति के तहत उपलब्ध कराना था। अंचल अधिकारी, खड़गपुर द्वारा बताया गया कि विभाग से प्राप्त 10.00 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसमें से 3.20 लाख रूपये व्यय की गयी है। शेष 6.80 लाख रूपये प्रत्यार्पित कर दी गयी। चूँकि विभागीय निदेशानुसार 20 (बीस) हजार रूपये में 03 डी0 भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अंचल अधिकारी, खड़गपुर को निदेश दिया गया कि गैरमजरूआ आम/खास भूमि से आच्छादित करना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

21/5/14

समाहर्त्ता
मुंगेर।

ज्ञापांक 112 /दिनांक 23-5-14/

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त, आई0 टी0 प्रबंधक, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सभी अचंल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/14

समाहर्त्ता
मुंगेर।

ज्ञापांक 112 /दिनांक 23-5-14/

प्रतिलिपि :– आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

21/5/14

समाहर्त्ता
मुंगेर।